प्रपत्र - 23

कार्य का नाम :- जनपद टिंहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत जयद्वार-तियाडा-फ़लपट्टी मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (12.00 कि0मी0)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- जयद्वार तहसील :- नैनबाग, जिला टिहरी गढवाल।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढवाल के जयद्वार—तियाडा— फलपट्टी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.963 है0 आरक्षित वन भूमि 8.1585 है0 सिविल सोयम भूमि अर्थात् कुल 9.121 है0 वनभूमि का लो०नि०वि०, थत्यूड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जयद्वार की दिनांक का १००० को सम्पन्न ग्राम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम पंचायत वासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों की परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को जयद्वार—तियाडा— फलपट्टी मोटर मार्ग निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपित नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



प्रपत्र - 23.1

दिनांक 📆 🚉 🗷 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत जयद्वार

Φ0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
सं0		2 9
1	O .2 .	3
1	विश्वासह प्रवार	Justine .
2	मेरशम्ह प्राप्त	Birit)
3	विक्रमातिह रेगु ए	forf
4	-वंगिंधः प्वार सन्द्रिष्ट पेवार शरगिष्ट पेवार	GI WAY
5	मुन्द्रावह पना	Barrees
6	SKOKE LAIS	Barren S. S. Jan an
7	श्रुरवरिष्ट राजा	stille still
8	स्टोहिं ग्राम	state
9	3141 4169	ficulates.
10	3141 4119	Genela
11	अर्डनिस्	Amey .
12	3151018	AZWW O
13	सिकामार्टि -	Govern
14	STANT SE	Sur.
15	Straig Var	gnz
16		1-Smy
17	विरेन्द्र सिंह	रिवरिद्धा सिंह
18	Enligher	- Eminist
13	3194 TEAL	Harri
20 -	A A A A	1

प्रपत्र - 23.2

कार्य का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत जयद्वार-तियाडा-फलपट्टी मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (12.00 कि0मी0)

<u>कार्यालय उप जिलाधिकारी नैनबाग</u> अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण —पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति नैनबाग

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षा में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :--

श्री रजा अब्बास उपजिलाधिकारी

ाध्यक्ष जिप्

2. श्री

4.

, उप प्रभागीय वनाधिकारी

सदस्य

श्री योगेश पाण्डे, सहायक समाज कल्याण अधिकारी

श्री जैद्धाः सिंह रावत क्षेत्र पंचायत

सदस्य/सचिव

सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत जयद्वार—तियाडा— फलपट्टी मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु 9.121 हैं0 वनभूमि लोठनिठिवठ थत्यूड प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया ग्रामसभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है । उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धि नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए

कमश:.....2

जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा भी अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मित से तहसील धनोल्टी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जयद्वार—तियाडा— फलपट्टी मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 9.121 है0 वनभूमि लो०नि०वि० थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

1 8

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील धनोल्टी / नैनबाग जनपद टिहरी गढवाल।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, नई टिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जीव सिंह स्ववत

र हिहरी गड़ाल (उत्तराखण्ड)

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील धनोल्टी / नैनबाग जनपद टिहरी गढवाल। कार्य का नाम :- जनपद टिंहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत जयद्वार-तियाडा-फलपट्टी मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (12.00 कि0मी0)

उप जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत जयद्वार—तियाडा— फलपट्टी मोटर मार्ग का नवनिर्माण हेतु 9.124 हैं0 सिर्विल सोयम वनभूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु लोठनिठिव धत्यूड प्रयोक्ता एजेंसी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11—9/98—एसठसीठ दिनांक 05.02.2013 के द्वारा सडक निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओठएफठसीठ केबिल पाईप लाईन बिछाने आदि परियोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के कम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० थ्रत्यूड (टि०ग०)

Activation of the same

अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० थत्यूड (ट्रि०म०) तहसीलद्वार जनवाग टिहरी महवाल

उपिक्सिसिधिकारी धनोल्दीनोल्टी टिहरी गढवाल

FORM-4

(For Liner Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector New Tehri

1	•		
No	/	*	Dated

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3 August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initialed and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006(FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5 February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 9.121 hectares of Civil forest land proposed to be diverted in favor of E.E. Try. Divi P.W.D Thatyur for Jaydwar-Tiyada- Falpatti Motor Road Scheme (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Jaydwar Tall- Jaydwar Mall village (s) in Nenbag Tehsils.

It is further certified that.

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 9.121 Hectare of Civil forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed in annexure.
- (b) The diversion of the forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and preagricultural communities.

Enclosure. As above

Executive Engineer.
Ty.Div.PWD Thatyur

Tehsildar

S.D.M. उ<mark>जिल्ला</mark>धिकारी District Collector Tehri Garhwal

टिहरी गढवाल

1

E:\Bachan Singh\Dhanolti Parking\Jaydwar to Tiyada.doc

कार्य का नाम :- जनपद टिंहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत जयद्वार-तियाडा-फलपट्टी मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (12.00 कि0मी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लॉक के जयद्वार—तियाडा— फलपट्टी मोटर मार्ग के (लम्बाई 12.00 कि0मी0) हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (सिविल सोयम भूमि 8.1585 है0, आरक्षित वनभूमि 0.963 है0, कुल प्रस्तावित भूमि क्षेत्रफल 9.121 है0) के गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 थत्यूड प्रयोक्ता ऐजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र सं0 11–9/98—एफ0सी0 दि0 05.02.13 के द्वारा रेखाकर (Liner) प्रयोजना यथा — सडक निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ०एफ0सी0 केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के कम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Premitive Tribal Group) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Premitive Agricultural Tribal Groups) प्रमावित नहीं हो रहे है।

सहायक अभियन्ता अ०ख०, लो०नि०वि०, थत्युड। अधिशासी अभियन्ता अ०ख०, लो०नि०वि०, थत्युड तहसीत्मार तहसीत्मार टिहरी गडिवाल टिहरी गडिवाल

उपजिलाधिकारी उपजिलाधिकारी उपजिलाधिकारी टेहर्ग गढवाल

HOTE SUPPLE OF THE PROPERTY OF

जिलाधिकारी टिहरी गढवाल।

OFFICE OF DISTRICT COLLECTOR DISTRICT TEHRI GARHWAL UTTARAKHAND

PROCEEDING OF THE MEETING OF THE DISTRICT LEVEL COMMITTEE CONSTITUTED UNDER SCHEDULE TRIBES & OTHER TRADITIONAL FORES DWELLERS (RECOGNITION OF RIGHTS) ACT (FRA) 2006

A meeting of the district level committee Tehri Garhwal district constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Ms. Sonika I.A.S. District collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in Jaunpur Block area measuring 9.121 Hectare for the construction of Jaydwar-Tiyada-Falpatti Motor Road in Tehsil Nenbag of forest land under FRA 2006 of the following application duly processed and recommended by the sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for the said purpose.

Place - Tehri

District Collector Cum Chairman District Tehri Garhwal New Tehri It is Further certified that Minutes of meeting of Jaydwar-Tiyada-Falpatti Motor Road scheme regarding FRA is as following.

Si.No.		Remark *
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 9.121 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultation and meeting of the forest Right committee (S) Gram Sabha sub Division Level committee (S) and District Level Committee are enclosed as annexure.	no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Division of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given consent to it.	no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate concerned village regarding construction of aforesaid Motor road is attached.
©	The proposal does not involve recognized rights od primitive tribsl groups and preagricultural communities.	Yes copy of recods attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य टिहरी गढवाल। समाज कल्याण अधिकारी टिहरी गढवाल। प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वनप्रभाग मसूरी

जिलाधिकारी टिहरी गढवाल।